न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 28 / 2012
प्रविष्टि दिनांक 30.10.2012

1–रामलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी भवानीपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक
2–भवंरलाल पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी भवानीपुरा तहसील मालपुरा जिला टोक
3–रोडू पुत्र श्योजी जाति माली निवासी भवानीपुरा तहसील मालपुरा जिला टोक

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.श्रीमति लल्ली पत्नि इकरामशाह जाति मुसलमान फकीर निवासी टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक
2.भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी मालपुरा

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति:- (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री श्याम सुन्दर विजय, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांक 30.01.2020

न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर निर्णय दिंनाक 04.03.2010 से प्रतिपक्षी संख्या 1 श्रीमति लल्ली पत्नि इकराम शाह मुसलमान निवासी टोरडी को दिनांक 02.06.1989 को ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा के आराजी खसरा नम्बर 828 रकबा 2 बीघा भूमि का भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किये जाने पर प्रतिपक्षी संख्या 1 ने व्यथित होकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2012 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि प्रकरण मे पुनः साक्ष्य वगैरह ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा वास्तविकता को छिपाकर उक्त आंवटन कराया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय टोरडी मे चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त है,उसने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

शिशा विभाग की सैवा मे कार्यरत रहते हुए अपने नाम आवंटन कराया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 बोनाफाइड कृषक भी नही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 आवंटन की पात्रता नही रखती है,इसके बावजूद प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा तथ्यो को छिपाकर अपने हक मे आवंटन कराया है,जिससे आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन व फ्राड का होने से आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि कृषि भूमि नही है। उक्त भूमि गत 30–40 सालो से आबादी के रूप मे उपयोग होती चली आ रही है। इस संबंध मे सम्बन्धित ग्राम पंचायत से इसे आबादी भूमि मे परिर्वतन करवाये जाने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है। आवंटन आदेश त्रृटिपूर्ण एंव गलत है। आवंटन से पूर्व मौके की वास्तविकता की रिपोर्ट प्राप्त नही की गई है और न ही मौका निरीक्षण किया गया है। आवंटन के समय भी भूमि रिक्त न होने एंव आबादी के उपयोग की होने से आवंटन विधि विरूद्व एंव नियमो के प्रतिकूल है। आवंटन से लेकर आज तक आंवटी का इस भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा उसके द्वारा आज तक कभी भी काश्त नही की गई है। आवंटित भूमि जो कि आबादी के उपयोग की है के समीप नाडी स्थित है जिसमे सभी ग्रामवासियो के जानवर पानी पीते है एंव इस भूमि मे होकर आते–जाते है। भूमि को आवंटन कर दिये जाने से जानवरो को परेशानी हो जावेगी। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस मे कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 828/1 ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा मे से 2 बीघा भूमि का दिनांक 02.06.1989 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि मे से 1 बीघा भूमि पर ही कब्जा दिया गया है,क्योकि मोके पर 1 बीघा भूमि पर बाडे बने हुए है। अप्रार्थीया विधवा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि पर क्या हित निहित है अंकन नही किया है। अप्रार्थीया वरवक्त आवंटन मालपुरा कन्या स्कूल मे पार्ट टाईम नियुक्त थी, यह तथ्या अप्रार्थीया द्वारा नही छिपाये गये है क्योकि पटवारी हल्का की वरवक्त आवंटन की गई रिपोर्ट से स्पष्ट है। अप्रार्थीया को दिनांक 13.02.1990 को राजकीय सेवा मे नियुक्ति की गई है जिसकी आदेश की छाया प्रति पत्रावली पर है,उसमे उक्त नियुक्ति से पूर्व अप्रार्थीया के पार्ट टाईम होने का अंकन है। विवादित भूमि गै0मु0 आबादी मे नही है। ग्राम पंचायत का खसरा नम्बर 828/2 है जो अलग है। अप्रार्थीया सद्भावी कृषक भी है। विवादित भूमि अप्रार्थीया की गैर खातेदारी मे दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा मे भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नम्बर 828/1 मे से 2 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ श्रीमति लल्ली पत्नि इकराम शाह फकीर निवासी टोरडी तहसील मालपुरा को दिनांक 02.06.1989 को आंवटन किया गया है। अप्रार्थीया को उक्त आवंटित भूमि मे से 1 बीघा भूमि पर बाडे वगैरह बने होने से केवल 1 बीघा भूमि पर ही कब्जा दिनांक 06.06.1989 को दिया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

Scanned by CamScanner

है जो पत्रावली मे उपलब्ध सुपुर्दगी नामे से प्रमाणित है। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया है कि केवल आवंटी द्वारा सम्वत 2054 मे आवंटी द्वारा भूमि काश्त की गई है,शेष वर्षो मे भूमि बजंड अथवा पडत रही है। विवादित भूमि आबादी के समीप है।

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2012 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे अभिभाषक अप्रार्थीया द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है।

आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काश्त न कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषको को भूमि आवंटन कर उनके द्वारा भूमि काश्त कर उसके जीविकोपार्जन हेतु दिये जाना है,परन्तु जब आवंटी द्वारा भूमि काश्त नही की जाती है तो उस आवंटन का कोई औचित्य नही रहता है तथा आवंटीकर्ता आवंटन के समय पार्टटाईम राजकीय सेवा मे कर्मचारी था,जिसके आधार पर वह नियमित राजकीय कर्मचारी बना है। आवंटी सद्भावी कृषक नही है। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती लल्ली पत्नि इकराम शाह जाति मुसलमान निवासी टोरडी तहसील मालपुरा को दिनांक 02.06.1989 को ग्राम टोरडी की आ0ख0नं0 828 रकबा 2 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:09:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: